डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अप्रैल, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 अप्रैल, 2024

| वर्ष 67 | अंक 21 | भोपाल | 1 अप्रैल, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता

भारत निर्वाचन आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा

प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।

श्री राजन ने बताया कि पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा।

दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा।

तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा।

इसी प्रकार चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा।

राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी ने शुरू की निगरानी

श्री राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (स्टेट लेवल एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/सार्वजनिक/निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

सी-विजिल एप से नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की कर सकेंगे शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल एप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को एप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे।

पात्र नागरिक अभी भी जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

श्री राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

महिला कर्मियों एवं दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित होने वाले मतदान बूथ बनाये जायेंगे

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 में प्रदेश में 3500 मतदान केन्द्रों पर महिला मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जायेगा। इन मतदान केन्द्रों पर तैनात पूरा मतदान दल महिला अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इसी प्रकार लगभग 250 मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जायेगा। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान दल दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी का ही होगा।

श्री राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के संचालन के लिये लगभग 5 लाख 20 हजार मतदान कर्मी, सेक्टर ऑफिसर, पुलिस कर्मी के रूप में अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगायी जा रही है। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र में संबंधित बीएलओ भी उपस्थित रहेंगे। उनके पास वर्णाक्रमानुसार मतदाता सूची भी होगी, जिससे कोई भी मतदाता मौके पर ही यह जान सके कि मतदाता सूची में इनका नाम किस नंबर पर है।

श्री राजन ने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माइक्रोसाइट https://elections24.eci.gov.in/ तैयार की गई है। इस पर लोकसभा निर्वाचन-2024 से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1500 से अधिक मतदाताओं वाले 367 मतदान केंद्रों में बनाए जाएंगे सहायक मतदान केंद्र

लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिये 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचरण संहिता के बारे में दी जानकारी

भोपाल :मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म.प्र. में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा। पहले चरण के लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 13 हजार 307 पुरुष मतदाता, 2 करोड़ 74 लाख 61 हजार 575 महिला मतदाता एवं 1 हजार 228 अन्य (थर्ड जेन्डर) मतदाता शामिल हैं।

367 सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे

श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण पृथक-पृथक चरणों में मतदान तिथि से 10 दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य मतदान दिवस के 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया जायेगा।

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

श्री राजन ने बताया कि निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील

श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए हैं। सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्रवाई सतत् जारी है। अब तक शासकीय भवन से 2 लाख 76 हजार 892, सार्वजनिक सम्पत्ति एक लाख 88 हजार 203 और निजी सम्पत्ति 57 हजार 992 स्थानों पर सम्पत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल एप

श्री राजन ने बताया कि नागरिकों को निर्वाचन संबंधी शिकायतें करने के लिए सी-विजिल एप उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो अगले 100 मिनट में शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे

श्री राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/ प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।

नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी सहित पाँच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी

श्री राजन ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/ पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/ प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनोज खत्री, श्री बसंत कुर्रे, श्री तरूण राठी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल एक से 10 अप्रैल तक रहेगा बंद

भोपाल :प्रदेश में कृषि वर्ष परिवर्तन के कारण कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा संचालित मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in की सेवाएँ एक अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक स्थगित रहेंगी। यह जानकारी कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा दी गई है।

पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी - एडीएम

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के संबंध में बैठक आयोजित

भोपाल : लोकसभा निर्वाचन - 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी। इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की चार प्रति प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र सहित मुद्रण के तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ उपलब्ध कराना होगा।

एडीएम श्री हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में एडीएम श्री हर्षल पंचोली ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा - निर्देशों की जानकारी उपस्थित प्रिटिंग प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने यह भी हिदायत दी की इस संबंध में आयोग के दिशा- निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि कोई भी मुद्रक प्रकाशक द्वारा साइन की हुई घोषणा और प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों के हस्ताक्षर के बिना किसी भी निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि मुद्रण के बाद प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा सहित मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी पांपलेट, पर्चे, पोस्टर आदि में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी सामग्री के मुद्रण के बाद तीन दिवस के भीतर चार प्रतियां और प्रकाशक से मिली घोषणा निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी। इसके साथ ही मुद्रण के लिए ली गई राशि की जानकारी भी देनी होगी। सभी प्रकार की सामग्री के मुद्रण के लिए अलग-अलग जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मुद्रक को निर्वाचन कार्यालय में देना होगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मुद्रक द्वारा छापी गई सामग्री को निर्वाचन कार्यालयों में किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी पांपलेट, पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण के संबंध में जारी निर्देशों का उलंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के तहत कार्यवाही की जाएगी।

वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम यूजर द्वारा किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित

सीहोर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषण के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवघान ना हो इसके लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर जिले में किसी भी प्रकार की जिसमें वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम यूजर द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडके एवं किसी संपदाय की विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करे।वाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भडकानें वाले पोस्ट को प्रसारित न करे एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके, ग्रुप एडमिन वाटसएप/फेसबुक अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला अथवा संदेश / फोटो/विडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।

आदर्श आचार संहित के तहत किसी भी धर्म संपदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी फार्वड न करे।सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत भेजे जाते है। इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जाँच करने का प्रयास करे।उनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले की सीमा में आम जनता की सुरक्षा आदि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रसारित किया जाता हे।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धार्मिक , मूलवंशी, जनस्थान, निवास स्थान, भाषाई, प्रादेशिक समूहो या जातियों या समुदाये के बीच सौहार्द के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य दण्डनीय अपराध है। किसी भी धर्म या उससे जुडी धार्मिक भावनाओं को आहत करना असंवैधानिक है। पुलिस अधीक्षक सीहोर के उक्त प्रतिवेदन से मेरा यह समाधान हो गया है कि वास्तव मे ऐसी स्थिति जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान है। साम्प्रदायिक सदभाव एवं लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे कृत्यों को नियमित एवं प्रतिबंधित किया जावे जिनसे लोक प्रशांति को खतरा हो। अवांछित तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उनकी गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जावे। जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ जिला सीहोर की संपूर्ण सीमा में आम जनता के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक रहेगा।

जारी प्रतिबंधित आदेश के तहत वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम X(ट्विटर) यूजर सहित अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडके एवं किसी संपदाय की विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित करेगा एवं आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी वर्जित होगा।वाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भडकानें वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकेगा, ग्रुप एडमिन वाटसएप/फेसबुक एंव अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, विडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी कि संबंधित सदस्य के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट के संदर्भ में निकटतम थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज करायेगा।

सेवा सहकारी समिति एवं विपणन समिति के 179 केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जायेगा कलेक्टर श्री सिंह ने सभी 179 केन्द्र प्रबंधको को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश

सीहोर : रबी विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 07 मई तक किया जाना है। गेहूं उपार्जन के लिए MPWLC की वेबसाइट पर ऑनलाईन ऑफर गोदाम अनुसार जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा एवं निर्णय उपरांत अब सेवा सहकारी समिति एवं विपणन समिति के 179 केन्द्रों पर गेहूं उपार्जन के कार्य निरन्तर किया जाये।

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए सेवा सहकारी समिति एवं विपणन समितियों को निर्देश दिये है कि वो रबी विपणन वर्ष 2024-25 उपार्जन निति एवं भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिए उपार्जन केन्द्रों पर भौतिक एवं अन्य सभी सुविधाओं के साथ गेहूं उपार्जन के कार्य निरन्तर किया जायेने के निर्देश दिए गए है। जिसमें उपार्जन केन्द्रों पर भौतिक एवं अन्य सुविधाओं की प्रविष्टि भारत सरकार के पोर्टल www.pcsap.in पर अपलोड उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा किए जाएंगे।इसका सत्यापन उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कृषकों से गेहूं उपार्जन कार्य सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक किया जाएगा। कृषक तौल पर्ची सायं 6 बजे तक जारी की जाएगी।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये है कि गेहूँ की गुणवत्ता एवं नियंत्रण:- भारत सरकार द्वारा FAQ नार्म्स अनुसार ही गेहूं का उपार्जन किया जाना है।'उपार्जन केन्द्र संचालन के लिए निर्धारित स्पेसिफिकेशन की भौतिक, मानव संसाधन, तौल कांटा तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर संचालन करने वाली संस्था के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर सुविधाएँ

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी सेवा सहकारी समिति एवं विपणन समिति के 179 केन्द्रों के प्रबंधों को निर्देश दिये है कि गेहूँ की गुणवत्ता एवं नियंत्रण भारत सरकार द्वारा FAQ नार्म्स अनुसार ही कि जाना है। और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एवं निर्बाध विधुत/जनरेटर सुविधा, इलेक्ट्रानिक उपकरण-कम्प्यूटर/लेपटॉप, प्रिन्टर, डोंगल, स्केनर, यूपीएस बैटरी, जन-सुविधाएं यथा-दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली, उपार्जन उपकरण यथा- (Ano-log Moisture Meter) केलिब्रिटेड, बड़ा छन्ना, पंखे, परखी, सूचना पटल-उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी-एफएक्यू सेंपल, एफएक्यू गुणवत्ता के मापदंड, भुगतान एवं टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था, सुरक्षात्मक सुविधाएं-तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियां, फास्ट-एड-बॉक्स, संबंद्ध वे ब्रिज एवं न्यूनतम 4 बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे, किसान की उपज की साफ-सफाई के लिए कस्टम हायरिंग सफाई उपकरण की उपलब्धता, उपार्जन केन्द्रों पर नॉन एफएक्यू स्कन्ध के अपग्रेडेशन एवं साफ-सफाई के लिए उपार्जन करने वाली समिति एवं संस्था द्वारा उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य रूप कि जाना होगी, छन्ना, पंखा, क्लीनिंग एवं ग्रेडिंग मशीन, माइश्चर मीटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, उपार्जन प्रभारी के डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए।

मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध रहे

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्र के लिण् नामित अथवा नियोजित प्रबंधन प्रभारी, संस्था द्वारा नियोजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सीपीसीटी अथवा डिप्लोमा, डिग्रीधारी व्यक्ति हों, तौल कांटे संचालन के लिए आवश्यक संख्या में तुलावटी एवं हम्माल, गोदाम स्थल से अन्यत्र परिसर पर केन्द्र होने पर संस्था द्वारा नियोजित गुणवत्ता परीक्षक/सर्वेयर, अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केन्द्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों , तौल कांटों, कम्प्यूटर की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं की आय/कमीशन में सुनिश्चित की जाएगी, प्रत्येक केन्द्र पर (औसतन 100 मे.टन की) दैनिक खरीदी के लिए 4 कैलिब्रिटेड इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे एवं आवश्यक तुलावटी की व्यवस्था केन्द्र संचालन करने वाली संस्था के द्वारा की जाएगी। शासन द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार उपार्जन कार्य का शत-प्रतिशत पर्यवेक्षण एवं पालन, उपर्जान केन्द्र पर MSP, FAQ Norms, उपार्जन एवं भुगतान की प्रक्रिया, बारदानों का मानक वजन को स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार के लिए डिस्प्ले करना होगा, उपार्जन केन्द्र पर स्कंध की सुरक्षा व्यवस्था, उपार्जित स्कंध को चोरी, कीटग्रस्तता, चूहों से बचाव और मौसम की विपरीत परिस्थितियां यथा-बारिश से उपार्जित स्कंध के बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित कि जाये।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये है कि केन्द्र पर पीने की पानी एवं शौचालय की व्यवस्था, केन्द्र पर हार्डवेयर एवं तकनीकि कर्मचारी की व्यवस्था, किसानों को उपार्जन केन्द्र पर कृषक तौल पर्ची जारी करना, केलीब्रेटेड ईक्ट्रानिक तौल मशीन की व्यवस्था करना, उपार्जित स्कंध को भण्डारण स्थल तक परिवहन के पूर्व अधिकतम 15 दिवस तक अस्थाई रूप से भण्डारण की व्यवस्था, निर्धारित रिकार्ड संधारित करना, रबी उपार्जन निति अनुसार FAQ गेहूं खरीदी की जाये साथ ही प्रतिदिन day closer protocal अनुसार खरीदी की गई गेहूं की मात्रा का RET गोदाम के अंदर परिवहन, हेण्डलिंग चालान तथा स्वीकृत व ई.पी.ओ. उसी दिवस (खरीदी दिवस) में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन संस्था/समिति शासन द्वारा जारी रवी उपार्जन नीति के दिशा निर्देशों एवं समय - समय पर शासन एवं जिले से जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों के मुद्रण के लिए मुद्रक, प्रकाशकों को निर्देश

सीहोर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट, पब्लिशर्स इत्यादि मुद्रकों, प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127- क के तहत निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों के मुद्रण के लिए मुद्रक, प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नही करेगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा।

आचार संहित के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नहीं करेगा। जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक, प्रकाशक को परिदत्त नही करता है। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाएं तथा संख्या अंकित करना होगी।

पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों के मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध "अ" की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अन्दर अनुबंध "ब" के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक, प्रकाशक की प्रेस की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित मुद्रक, प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं तहसीलदारों को दिया गया प्रशिक्षण

सिवनी : लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिला पंचायत सभाकक्ष में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा तहसीलदारों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर द्वारा उपस्थिति अधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ मतदान दिवस से मतगणना तक की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों की ईव्हीएम मशीन के साथ हेण्डस्ऑन ट्रेनिंग भी कराई गई। अधिकारियों द्वारा बीयू, सीयू तथा व्हीव्हीपेड को जोडने, मॉकपोल सहित ईव्हीएम से जुडी सभी कार्यवाही स्वयं करके देखी। कार्यक्रम में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ-साथ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सी एल चिनाप की उपस्थिति रही।

आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

खण्डवा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वह फोन नम्बर 0733-2222710 पर कर सकते है, साथ ही इसके अलावा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते है। इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। सी- विजिल एप के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप को डाउनलोड करना होगा।

उपार्जन नीति अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश

नरसिहंपुर : राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा रबी सीजन वर्ष 2023- 24 (विपणन वर्ष 2024- 25) में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की उपार्जन नीति जारी की गई है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्त उपार्जन नीति में दिये गये निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

लॉटरी के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों का चयन

जबलपुर :रबी उपार्जन के तहत पनागर और मझौली तहसील में खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी देने महिला स्व- सहायता समूहों का चयन 28 मार्च को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट में लॉटरी के माध्यम से किया गया। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार सीईओ जिला पंचायत द्वारा रबी उपार्जन कार्य के लिये महिला स्व-सहायता समूहों की सूची प्रेषित की गई है। प्रेषित सूची में तहसील पनागर एवं मझौली में आवश्यकता से अधिक पात्र महिला स्व-सहायता समूहों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में उपार्जन कार्य मे पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुये महिला स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर सभी सबंधित उपस्थित हो सकते हैं।

उपाय एप के जरिए होगा विद्युत शिकायत का समाधान

भोपाल : विद्युत संबंधी शिकायत के निराकरण के लिये उपाय एप के माध्यम से आसानी से समाधान किया जा रहा है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में उपाय एप डाउनलोड करना होगा। आंधी, तूफान एवं अन्य कारणों से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण के लिए भी उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप को डाउनलोड कर अपनी शिकायत का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं। साथ ही बिजली बिल भी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपाय एप के अनेक फायदे हैं। उपाय एप के रजिस्टर कम्पलेंट ऑप्शन्स की सहायता से विद्युत व्यवधान या बिल संबंधी शिकायत दर्ज कर शिकायत क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत के निराकरण की स्थिति भी उपाय एप के माध्यम से जान सकते हैं। अपने वर्तमान बिल को डाउनलोड करने के साथ ही बिल भुगतान भी किया जा सकता है। उपाय एप से बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ता को बिल डेस्क, एचडीएफसी बैंक पे-यू, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि ऑप्शन्स प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता इनमें से किसी भी एक माध्यम का चयन कर अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान कर तुरंत पावती प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूँ, सरसों एवं चने के उपार्जन के संबंध में कलेक्टर ने बैठक लेकर दिए निर्देश

ग्वालियर : जिले में चना, सरसों एवं गेहूँ के उपार्जन के लिये निर्धारित किए गए उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिये गर्मी के मौसम को देखते हुए छाया व पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बुधवार को जिले में उपार्जन के लिये की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार सहित कृषि विभाग, खाद्य विभाग, कॉपरेटिव बैंक सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समर्थन मूल्य पर चना 5440 रूपए प्रति क्विंटल, सरसों 5650 रूपए प्रति क्विंटल तथा गेहूँ 2400 रूपए प्रति क्विंटल पर क्रय किया जाना निर्धारित किया गया है। सभी केन्द्रों पर पर्याप्त वारदाने की उपलब्धता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गेहूँ का उपार्जन 29 मार्च से 15 मई तक किया जायेगा।

मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक

मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक द्वारा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें अगर हमारे पास तालाब नहीं है, और हम मछली पालन करना चाहते हैं तो हम बायोफ्लॉक विधि को अपना सकते हैं। इस विधि के जरिए हम मछली पालन करके कम खर्च, कम पानी और कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जिसे वर्तमान में बायोफ्लॉक तकनीक के नाम से जाना जा रहा है। मत्स्य पालन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीका है। इस विधि से मछली पालने के लिए किसी तालाब या पोखर की जरुरत नहीं होती है। इस तकनीक में टैंकों में मछली पाली जाती है।

बायोफ्लॉक तकनीक में एक टैंक को बनाने में कितनी लागत आएगी वो टैंक के साइज अथवा आकार के ऊपर होता है। टैंक का साइज जितना बड़ा होगा मछली की वृद्धि उतनी ही अच्छी होगी और आमदनी भी उतनी अच्छी होगी। बायोफ्लॉक मछली पालन भारत में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 60 प्रतिशत आबादी मछली खाना पसंद करती है। मछली प्रोटीन व विटामिन का प्रचुर स्रोत है। आज के युग में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हैं। इसलिए अपने रूचि व स्वास्थ्य सम्बंधित जरूरतों के लिए मछली का सेवन करना पसंद करते हैं। बायोफ्लॉक मछली पालन व्यवसाय तेजी से पनप रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन व्यापार की हिस्सेदारी तकरीबन 4.6 प्रतिशत से ज्यादा है।

तालाब में सघन मत्स्य पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा संख्या में मछली डाली जाए तो तालाब का अमोनिया स्तर काफी बढ़ जाएगा एवं तालाब गंदा हो जाएगा और मछलियां मरने लगेंगी। मत्स्य पालकों को नियमित रूप से तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा जाते हैं। जबकि बायोफ्लॉक वाले टैंक अथवा जार के ऊपर शेड लगाया जाता है। इससे मछलियां मरती भी नहीं हैं और किसान को उससे होने वाला नुकसान भी नहीं होता है। एक हेक्टेयर के मछली पालन तालाब में हर समय बोरिंग से पानी दिया जाता है जबकि बायोफ्लॉक विधि में लगभग चार महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। गंदगी जमा होने पर केवल दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) पानी निकालकर इसे साफ रखा जा सकता है। बायोफ्लॉक टैंक से निकले हुए पानी को खेतों में भी छोड़ा जा सकता है। खेत या घर के आसपास 250 स्क्वायर फीट के सीमेंट टैंक में मछली पालन कर सकते हैं।

इस तकनीक में पानी की बचत तो है ही साथ ही मछलियों के फीड की भी बचत होती है। बायोफ्लॉक तकनीक में जो मछलियां टैंकों में पाली जाती हैं वे मछलियां जो भी खाती हैं उसका 75 फीसदी वेस्ट (मल) निकालती हैं वो वेस्ट (मल) उसी पानी के अंदर रहता है और उसी वेस्ट को और अतिरिक्त भोजन को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया पलता है वो ऐरोबिक (वायुजीवी) बैक्टीरिया है जिसको 24 घंटे हवा की जरुरत होती है तभी वो जीवित रहता है। इस बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों की उत्सर्जित वेस्ट (मल) और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर मछलियों के भोज्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है।

सहकारिता विभाग में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु महिला अधिकार एवं महिला संबंधी कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता विभाग मे पदस्थ महिला अधिकारियों हेतु "महिला अधिकार एवं महिला संबंधी कानूनी प्रावधान" विषय पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में दिनांक 22/03/2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमति शालीनी दीक्षित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निशेध और निवारण) अधिनियम 2013, लिंग चयन प्रतिशेध अधिनियम 1994 एवं आई.पी.सी. की धाराऐं 376, 294, 498 ए, 304 बी, 370, 366, 326, 80 जेजे एवं स्वयं की सुरक्षा संबंधी टिप्स तथा तत्काल सहायता हेतु महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100/112, सायबर हेल्पलाइन नम्बर 1930, चाल्इड हेल्पलाइन नम्बर 1098, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नम्बर 7827170170,

पुलिस कांट्रोल रूम नम्बर 155390,

एम्बुलेंस नम्बर 108,

फायर हेल्पलाइन नम्बर 101,

मेडीकल हेल्पलाइन नम्बर 102,

पुलिस मोबाइल ऐप इत्यादि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. जया फुकन विषय विशेषज्ञ बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा महिला घरेलू हिंसा पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा अंतरंग रिश्तों या अन्य प्रकार के पारिवारिक रिश्तों में दुव्यहारपूर्ण बर्ताव का एक पैटर्न होता है। जहॉ एक व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरे व्यक्ति पर हावी है और स्वयं को शक्तिशाली समझने वाला व्यक्ति भय उत्पन्न करता है इसे घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा या अंतरंग साथी हिंसा के रूप में जाना जाता है। इस तरह की हिंसा विभिन्न प्रकार के रिश्तों मे हो सकती है उदाहरणार्थः पति और पत्नि या गलफ्रेन्ड और बायफ्रेन्ड, व्यस्कों और बच्चों या व्यस्कों और वृद्धों, माता-पिता के बीच अथवा कुटुम्ब के सदस्यों जैसे चाचियों, मामियों, चाचाओं, मामाओं तथा दादा-दादी, नाना-नानी अथवा गैर-यौन संबंधों के साथ रहने वाले लोगों के बीच ऐसे अक्सर जबरदस्ती तथा नियंत्रण के एक पैटर्न के रूप मे उल्लिखित किया जाता है। दुर्व्यहारकर्ता अपना दबदबा व नियंत्रण बनाये रखने के लिए कई युक्तियां अपनाते है जैसे किः शारीरिक दुर्व्यहार उदाहरणार्थ - गला दबाना, पिटाई करना, धक्का देना तथा हानि पहुचाने की धमकी देना। यौन हिंसा की कार्यवाहियां - जबरदस्ती यौन सम्पर्क बनाना या किसी को ऐसी यौन क्रियाओं को करने लिए बाध्य करना जो वें नहीं करना चाहती। भावनात्मक दुर्व्यहार जैसे कि- गालियां देना और नीचा दिखाना, असम्मान पूर्ण व्यवहार करना। मनोवैज्ञानिक दुर्व्यहार जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यहार हो रहा है उस पर उस व्यवहार का आरोप लगाना, जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यहार हो रहा है उसे कहना कि, उसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याऐं या चिंताजनित विकार है, वास्तविकता में हेर-फेर करना या जानबूझ कर वास्तविकता को तोड-मरोड़ना इत्यादि। वित्तीय दुर्व्यहार जैसे किः जीवन - यापन के खर्चे या घर चलाने के पैसे देने से मना करना, किसी को नौकरी करने से रोकना, बाल सहायता की व्यवस्था मे हेर-फेर करना, किसी को ऐसे कानूनी या वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए धमकाना जिनसे उस व्यक्ति पर ऋण चढ़ता हो।

अन्य जैसे किः-

किसी को अपने धार्मिक विश्वास या श्रद्धा का पालन न करने देना।

बच्चो सहित प्रियजनों को हानि पहुॅचाना।

पालतू पशुओं को हानि पहुॅचाना या हानि पहुॅचाने की धमकी देना।

महिलाओं के घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा भुगतने की सम्भावना इन महिलाओं में ज्यादा होती है -

- गर्भवती महिलाऐं
- अलग हो चुकीं महिलाऐं
- किसी प्रकार की असक्षमता वाली महिलाऐं
- एबोरीजनल तथा टोरस स्ट्रेट आईलैण्डर महिलाऐं

डॉ वीणा सिंहा से. नि. वरिष्ठ शासकीय चिकित्सक द्वारा ''महिला स्वास्थ्य क्या है'' ? पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जब एक महिला स्वस्थ्य होती है तब वह प्रसन्न रहती है। वह अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं। उसमें इतनी शक्ति व बल होता है कि वे अपने दैनिक कार्य कर सके, परिवार व समाज में निर्धारित अपनी अनेक भूमिकाओं को निभा सकें तथा दूसरों के साथ संतोषदायक संबंध बना सकें।

भारत में महिला स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण गरीबी व परिवार तथा समाज में भेदभाव के कारण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याऐं न केवल बढ़ जाती है बल्कि इसके कारण स्वास्थ्य सेवा तंत्र भी महिलाओं को ऐसी स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने में असक्षम हो जाता है जिनकी महिलाओं को आवष्यकता होती है।

विशेष रूप से महिलाओं को

(शेष पृष्ठ 7 पर)

अजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला सहकारी समिति हेतु "नेतृत्व विकास" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संयुक्त तत्वधान मे अजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला सहकारी समिति हेतु "नेतृत्व विकास" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च, 2024 से 29 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया। जिसमें कुल 32 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे विषय विशेषज्ञ के रूप मे आमंत्रित श्री ए.के.जोशी, सेवा निवृत्त प्राचार्य राज्य संघ द्वारा सहकारी समिति के सदस्य के अधिकार एवं कर्त्तव्य व लेखाकंन, श्री श्रीकुमार जोषी से.नि.संयुक्त आयुक्त द्वारा सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराऐं, सहकारी समिति के अंकेक्षण संबंधी प्रावधान, श्रीमति प्रतिभा तिवारी, डायरेक्टर, भूमिशा ऑर्गेनिक भोपाल द्वारा सफल उद्यमी के गुण, श्रीमति रेणु नायक डायरेक्टर, सिग्नेचर बुटिक भोपाल द्वारा महिला परिधान के व्यवसाय को लाभदायक बनाने वाली रणनितियां, श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक द्वारा सहकारी निर्वाचन प्रक्रिया एवं व्यवसाय विविधिकरण, श्रीमति सृष्टि उमेकर, डायरेक्टर, शरण वेलफेयर फाउंडेशन भोपाल द्वारा नेतृत्व विकास, श्रीमति प्रभा गौर डायरेक्टर, कुंजल वेलफेयर सोसायटी द्वारा व्यवसाय प्रबंधन, श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक राज्य संघ द्वारा समय प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास, श्रीमति मीनाक्षी बान व्याख्याता, राज्य संघ द्वारा ई-कोऑपरेटिव व साईबर अपराध जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री गणेश मांझी उपस्थिति रहें। सत्र का संचालक श्री विनोद कुमार कुशवाहा व मो. शाहिदखांन जिला सहकारी. प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुश्री वैष्णवी मीना, श्री प्रवीण कुशवाह का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस सभी प्रतिभागियों का अध्ययन भ्रमण कराया गया एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किये गये।

(पृष्ठ 6 का शेष)

सहकारी विभाग में पदस्थ अधिकारियों....

प्रभावित करने वाली बीमारियॉं

पुरूषों की तुलना में महिलाओं का स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकताऐं अलग होती हैं। महिलाओं में मासिक धर्म, गर्भ अवस्था, प्रसव और रजोनिवृति जैसे जैविक चरणों का अनुभव कर वह कई प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करती हैं। जैसेः- अनियमित पीरियडस्, बैक्टीरियल वजिनोसिस, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉयड और बुल्वोडनिया जैसे विकार। गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं जैसे प्रसव के बाद की देखभाल, गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म, सिजेरियन सेक्षन, जन्म दोष, स्तनपान संबंधी समस्या और प्रसव के बाद अवसाद की अवस्था।

महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख मुद्दे

1. कैंसर- महिलाओं को दो प्रकार के कैंसर होने का खतरा अधिक रहता है। स्तन और सर्वाइकल के कैंसर प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख महिलाऐं इन दोनों प्रकार के कैसर होने से मौत का शिकार हो जाती है। इस विषय पर समाज में जागरूकता की आवश्यकता है।

2. प्रजनन से संबंधी जानकारियां - प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में फैली अफवाहों को दूर करना, प्रजनन और उससे जुडी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, गर्भ निरोधकों के प्रयोग के बारे मे जागरूकता और लोगो तक इसकी जानकारी की उपलब्धता को आसान बनाना।

3. यौन संचारित रोग, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं को रोकना, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी निदान व उपचार पर जानकारी, कम उम्र मे महिलाओं को एवं उम्र के साथ महिलाओं को होने वाली समस्याऐं, इत्यादि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. मोनिका सिंह, डायरेक्टर एवं डीन मानवीय एवं कलां संकाय स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा वर्क लाइफ बैंलेस, तनाव प्रबंधन एवं इमोशनल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर म.प्र.राज्य सहकारी संघ भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी एवं पूर्व प्राचार्य श्री ए.के.जोशी राज्य संघ उपस्थित रहें। प्रशिक्षण का संचालन श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक म.प्र.राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष सहयोग श्री धनराज सैंदाणे, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री विनोद कुशवाह, सुश्री वैष्णवी मीणा, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री मो. शाहिदखांन का रहा।

महिला मुर्गीपालन सहकारी समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

डिण्डौरी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल व सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18 से 20 मार्च 2024 तक समुदायिक भवन समनापुर डिण्डौरी में महिला मुर्गीपालन सहकारी समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यगणों हेतु आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के संयोजक श्री व्ही. के. बर्वे सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रांरभ में केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे द्वारा प्रशिक्षण की उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं अतिथियों का पुष्प माला से स्वागत किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री धर्मेन्द्र सिंह मेवाड़ा तकनीकी सहायक प्रबंधक महिला मुर्गीपालन सहकारी समिति समनापुर द्वारा कुक्कुट प्रबंधन, रोग उपचार एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। श्री एस. के. चतुर्वेदी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रमुख प्रावधान तथा लेखा संधारण, संस्था में रखे जाने वाले रिकार्ड पर विस्तृत चर्चा की श्री व्ही. के. बर्वे प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा महिला सहकारी समिति के उद्देश्य एवं कार्य,

कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें बुलाने की प्रक्रिया, सहकारी प्रबंध व्यवसाय की नवीन संभावनाएं, सहकारी समितियों के उददेश्य, समिति की गठन प्रक्रिया आदि पर विस्तृत चर्चा की श्री अखलेश उपाध्याय प्रशिक्षक द्वारा नेतृत्व विकास एवं गठन प्रक्रिया, बैठकों के प्रकार आमसभा की बैठके, विषय एवं कार्य, उपविधि में संशोधन करने की प्रक्रिया पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में प्रशिक्षणार्थी को मुर्गीपालन फार्म कुरैली का अध्ययन भ्रमण कराया गया तत्पश्चात प्रशिक्षणार्थी की समस्या एवं समाधान पर चर्चा एवं कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजन की सफलता में श्री एन.पी. दुबे लेखापाल , अखलेश उपाध्याय एवं संस्था के समस्त कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा।

बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज पर पैक्स प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज के प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15/03/2024 से 16/03/2024, दिनांक 18/03/24 से 19/03/24 एवं दिनांक 20/03/24 से 21/03/24 तक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के समिति प्रबंधकों को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें कुल 73 पैक्स प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी-पैक्स के नवीन बायलाज अनुसार बी-पैक्स की प्रमुख गतिविधियां एवं क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, सुश्री मोहिनी विश्वकर्मा, विषय विशेषज्ञ भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 क्या है, इसकी आवश्यकता, विजन, मिशन एवं उददेश्य व सहकारी नीति के प्रमुख प्रावधान, विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता बी-पैक्स की उपविधि, सहकारी अधिनियम व नियम के प्रावधान सहकारी नीति के संदर्भ में, एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 क्रियान्वयन हेतु, एक्शन प्लान का क्रियान्वयन, सहकारिता के विशिष्ठ सेक्टर जैसे- कृषि साख, स्वॉट एनालिसिस, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज एवं किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), श्री आर.पी.हाजरी पूर्व प्राचार्य अपेक्स बैंक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा बी-पैक्स नवीन बायलॉज की आवश्यकता व उद्देश्य एवं सेवाऐं, श्री पी.के.एस.परिहार, से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक द्वारा बी पैक्स के नवीन बॉयलाज को प्रभावशील किया जाना, श्री अशोक शर्मा से.नि. क्वालिटी कंट्रोलर, म.प्र. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल, द्वारा वृहद भण्डारण योजना को बी-पैक्स में लागू करना, श्री अतुल श्रीवास्तव, साईबर विशेषज्ञ, राज्य साईबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा साईबर अपराध श्री राजेन्द्र सक्सेना एवं श्रीमती रश्मि गोलिया के द्वारा तनाव एवं समय प्रबंधन विषय पर, श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक द्वारा श्री सेवड़ी सेवा सहकारी मण्डली सूरत गुजरात मल्टी सर्विस सेंटर (PACS as MSC)- के रूप में कार्य कर रहें गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक राज्य संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा की गई एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री अरूण कुमार जोशी,से.नि.प्राचार्य द्वारा किया गया। श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैंदांणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह, श्री विनोद कुशवाह, मो.शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

नई कृषि तकनीकों के इस्तेमाल से सुधरा खेतों का भूजल स्तर, अब कम खर्च में ही मिल जाता है जबरदस्त उत्पादन

आज जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर हमारी खेती पर ही पड़ रहा है. अचानक मौसम बदलने और कीट-रोगों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है. लगातार गर्म होती जमीन के चलते फसल उत्पादन भी कम हो गया है. इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में नई कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खेती की लागत कम हो सके और किसानों को कम मेहनत में ही अच्छा मुनाफा मिल जाए. इन कृषि तकनीकों (Farming Techniques) के इस्तेमाल से किसानों पर खर्च का बोझ भारी नहीं पड़ता है.

खासकर पानी की किल्लत के दौर में ये कृषि तकनीकें जल संरक्षण और भूजल स्तर के सुधार का काम कर रही है. अब यह किसानों की जिम्मेदारी है कि पानी, लागत और संसाधनों की बचत के लिए इन नवीनतम कृषि तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करें.

फसल विविधीकरण

आधुनिकता के दौर में आजकल हर क्षेत्र मल्टी टास्किंग पर जोर दे रहा है. ऐसे में इस मॉडल से कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं है. अब धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की जगह फसल विविधीकरण को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा हैं. धान और गेहूं फसल प्रणाली में बढ़ते जोखिमों को देख अब किसान भी बागवानी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं. इससे कम मेहनत में ही काफी अच्छा उत्पादन मिल जाता है, खेतों में भूमिगत जल स्तर कायम रहता है, मिट्टी में जीवांश बने रहते हैं, मृदा स्वास्थ्य बेहतर बनता है, फसल उत्पादन भी बेहतर होता है और पर्यावरण प्रदूषण में भी काफी हद गिरावट आती है.

इसके लिए किसान संरक्षित खेती आधारित फसल प्रणाली पर भी काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, सीमित संसाधनों में बेहतर उत्पादन के लिये अब अंतरवर्तीय खेती, मिश्रित खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग (Multi Layer Farming) पर भी जोर दिया जा रहा है. इनके जरिये एक साथ, एक ही समय पर, एक ही जगह पर, अलग-अलग तरह की फसलों का उत्पादन मिल जाता है. इस तरह किसानों को सिर्फ एक ही फसल के लिये खर्च करना होता है, लेकिन लागत के मुकाबले अलग-अलग फसलों से काफी अच्छी पैदावार मिल जाती है.

जीरो टिलेज खेती

नई कृषि तकनीकों में बिना जुताई की खेती यानी जीरो टिलेज फॉर्मिंग भी शामिल है. इस कृषि तकनीक को अपनाने पर किसी भी फसल की बुवाई से पहले जुताई नहीं करनी होत, बल्कि समय, धन और संसाधनों की बचत के लिए बिना जुताई के ही जीरो टिलेज मशीन (Zero Tillage Machine) से बुवाई का काम किया जाता है. धान, गेहूं और गन्ना जैसी नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के बीच ये जीरो टिलेज फॉर्मिंग काफी मशहूर होती जा रही है. एक तरफ 1 एकड़ खेत की जुताई करने में 1 घंटे का समय लगता है.

वहीं जीरो टिलेज मशीन की मदद से बिना जुताई किये बीजों की बुवाई कर दी जाती है. इस तरह मिट्टी में जीवांश की संख्या बढ़ती ही है, साथ ही जमीन में नमी कायम रहती है. इससे बीजों के जमाव, पौधों के विकास और फसल उत्पादन में काफी आसानी होती है.

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।